



दिनांक:01.04.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए

01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल व 1600/- रुपये बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 08.01.2026 को वादी श्री सावेज पुत्र जल्फान नि० मौ० हामिद हसन कस्बा व थाना चिलकाना स०पुर द्वारा तहरीर बाबत वादी की दुकान के बाहर से कपडों का भरा बोरा अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु०अ०सं० 15/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। तथा दिनांक 28.03.26 को वादी श्री मुस्लिम पुत्र अकबर निवासी सराय थाना ज्वालापुर जिला हरिद्वार द्वारा एक किता तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साइकिल UK08-AK-0953 को मौ० कोठीवाला से अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु०अ०सं० 115/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया गया था आदेश के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सहायक पुलिस अधीक्षक/थाना प्रभारी सिमरन सिंह (I.P.S.) के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 31.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान अभियुक्त सावेज पुत्र फुरकान निवासी ग्राम मरोडगढ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को फिरोजाबाद रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गयी मोटर साइकिल स्पलैण्डर प्लस UK08-AK-0953 व कपडों को बेचकर प्राप्त किये 1600/- रु० बरामद किये गये। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. सावेज पुत्र फुरकान निवासी ग्राम मरोडगढ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

➤ 01 मोटर साइकिल UK08-AK-0953

➤ 1600 रुपये नगद

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 15/26 धारा,303(2) 317(2) बीएनएस थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

2. मु०अ०सं० 115/26 धारा,303(2) बीएनएस थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1- उ०नि० श्री नरेन्द्र कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

2- है०का० 876 अनुज कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

3- का० 1700 दीपक कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 01.04.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, निशादेही से घटना में प्रयुक्त 01 बलकटी बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 31.03.2026 को वादी डिम्पल पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम गुडम्ब थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक किता तहरीर बाबत अभिगण द्वारा वादी की पत्नी पर जान से मारने की नियत से हमला करने जिसमें उसकी पत्नी को गंभीर चोट आने के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0स0 72/26 धारा 109/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नवीन कुमार सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.04.2026 को थाना नानौता पुलिस द्वारा मु0अ0स0 72/26 धारा 109/351(3) बीएनएस के वांछित अभियुक्त दीपक पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम गुडम्ब थाना नानौता सहारनपुर को कचरई बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त दीपक के निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 बलकटी बरामद की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. दीपक पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम गुडम्ब थाना नानौता सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 01 बलकटी (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नवीन कुमार सैनी थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 106 विक्रान्त मान थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. म0है0का0 571 पायल थाना नानौता जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक -01.04.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा गौकशी के मुकदमे से 01 वांछित गौकश अभियुक्त को किया गिरफ्तार,

अवगत कराना है कि दिनांक 20.3.26 को उ0नि0 सौरभ कुमार चौकी प्रभारी शाहजहापुर द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर एक विडियो प्राप्त हुई जिसमें 1.शहजाद पुत्र लीलू, 2.फारुक पुत्र दीन मौहम्मद व 3.दल्लू पुत्र मकसूद व अन्य नाम पता अज्ञात द्वारा जंगल ग्राम वाजिदपुर मे एक ईख के खेत मे अब से करीब दो ढाई माह पूर्व गौकशी की घटना कारित करते हुए वीडियो में दिखायी दे रहे थे, जिसके आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 84/25 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। दिनांक 24.3.2026 को 02 अभियुक्तगण 1. फारुख व 2.शहजाद की गिरफ्तारी पर अभियुक्तों से पूछताछ पर घटना में संलिप्त अन्य अपराधियों राशिद पुत्र मुर्तजा निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर व अन्य अभियुक्तगण के नाम प्रकाश में आये थे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे गौकशी की घटना की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्वेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष सरसावा श्री प्रवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 01.04.2026 को थाना सरसावा पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में 01 वांछित/प्रकाश में आये गौकश अभियुक्त **राशिद पुत्र मुर्तजा निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को ग्राम वाजिदपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. राशिद पुत्र मुर्तजा निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 गौरव कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 रामप्रकाश शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. है0का0 384 अनित कुमार थाना सरसावा जिला सहारनपुर।
5. है0का0 599 प्रदीप कुमार थाना सरसावा जिला सहारनपुर।
6. का0 2466 रोहित कुमार थाना सरसावा जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 01-04-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिन्दा
कारतूस 315 बोर, 02 छुरी नाजायज बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराधो की रोकथाम वाँछित/वारण्टी अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश/निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.तालिब पुत्र कलीम निवासी अलावलपुर रोड आजाद कालौनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर 2.साजिद पुत्र नसीर निवासी अलावलपुर रोड आजाद कालौनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर 3.निजाम पुत्र इस्लाम निवासी अलावलपुर रोड आजाद कालौनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर को फलाई ओवर रजपुरा रोड के सामने आम का बाग से गिरफ्तार किया गया।अभियुक्त तालिब उपरोक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 01 कारतूस जिन्दा 315 बोर व अभियुक्त साजिद व निजाम के कब्जे से 01-01 नाजायज छुरी बरामद हुयी। बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 124/26 धारा 3/4/25 ए एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगणो के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. तालिब पुत्र कलीम निवासी अलावलपुर रोड आजाद कालौनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. साजिद पुत्र नसीर निवासी अलावलपुर रोड आजाद कालौनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. निजाम पुत्र इस्लाम निवासी अलावलपुर रोड आजाद कालौनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

अभियुक्त साजिद का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 124/26 धारा 3/4/25 ए एक्ट थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 548/20 धारा 13 जी एक्ट थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री मशकूर अली थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. 3.उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. है0का0 131 रोहित कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



दिनांक: 01.04.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना नकुड़ पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

!

अवगत कराना है कि थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर पर दिनांक 23.03.26 को वादी श्री विष्णु पुत्र मदन निवासी ग्राम चढाव थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर द्वारा मु0अ0सं0 173/26 धारा 3(5)/109(1) बीएनएस बाबत अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर करने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था। जिसमें दिनांक 25.03.2026 को अभियुक्त अंशुल पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम जैनपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को घटना में प्रयुक्त तमंचे व कारतूस तथा मो0सा0 के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त प्रकरण में शेष वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष नकुड़ श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 01.04.2026 को उक्त अभियोग से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रोहित उर्फ घोलू पुत्र शिव कुमार नि0 ग्राम जैनपुर थाना नकुड़ जिला सहारनपुर को ग्राम जैनपुर गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

➤ रोहित उर्फ घोलू पुत्र शिव कुमार निवासी ग्राम जैनपुर थाना नकुड़ जिला सहारनपुर

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार अधाना थाना नकुड़ सहारनपुर
3. है0का0 892 अजय राठी थाना नकुड़ सहारनपुर
4. है0का0 650 वरणकार थाना नकुड़ सहारनपुर
5. है0कां0 258 अजीत मलिक थाना नकुड़ सहारनपुर।



-प्रेस नोट-
“ऑपरेशन सवेरा”

दिनांक- 01.04.2026



“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर

नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 254 ग्राम चरस बरामद

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों /नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 01.04.2026 को थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त अभियुक्त शाबाज उर्फ शिबू पुत्र मो0 कलीम निवासी लुहानी सराय थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर उम्र 34 वर्ष को घटनास्थल पुराना रेलवे प्लेटफार्म, मालगोदाम रोड़ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 254 ग्राम चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 140/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

1. शाबाज उर्फ शिबू पुत्र मो0 कलीम निवासी लुहानी सराय थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

बरामदगी -

➤ 254 ग्राम चरस बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त कादिर का आपराधिक इतिहास -

1- मु0अ0सं0 219/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कुतुबशेर सहारनपुर

2- मु0अ0सं0 140/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. उ0नि0 सुभाष चन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

2. का0 2043 सद्दाम हुसैन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

3. का0 1826 मोनू कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर



दिनांक: 01.04.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमे में वांछित अभियुक्त
गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 31.03.2026 को वादी श्री शान्तनु पुत्र कैलाश नाथ जायसवाल नि० विनय विहार हिम्मतनगर थाना सदर बाजार सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण बाबत अभि०गण 1. विनित उर्फ कागंडा पुत्र विनोद 2. मोन्टी शिशोदिया पुत्र प्रितम सिंह, 3. करन बाल्मिकी पुत्र संदिप, निवासी गण नामालूम 4. रोहित उर्फ लेफटी पुत्र बबिल कुमार निवासी - टैगोर गार्डन, 5. हिमाशु उर्फ हिटलर पुत्र सुरेन्द्र निवासी आई.सी.टी रोड नन्दपुरी, तथा 10 अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लाठी, डंडे, सरिया व तमंचों से लैस होकर वादी पर मारपीट कर जान से मारने की नीयत से फायर करने के सम्बंध में थाना सदर बाजार पर मु०अ०सं० 170/26 धारा 190/191(2)/191(3)/109(1)/115(2) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में दिनांक 01.04.2026 को थाना सदर बाजार द्वारा मुकदमा उपरोक्त में 01 वांछित अभियुक्त आशीष बत्रा पुत्र राकेश कुमार निवासी मौहल्ला टैगौर गार्डन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को टैगौर गार्डन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यावाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

आशीष बत्रा पुत्र राकेश कुमार निवासी मौहल्ला टैगौर गार्डन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. निरीक्षक श्री कपिल देव थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. उ०नि० श्री अंकित कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. का० 2107 रवि राठी थाना सदर बाजार सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 01.04.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा व राजस्व विभाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान बिना वैध प्रपत्रों के मय अवैध खनन सामग्री से भरे 02 ट्रैक्टर-ट्राली को किया सीज

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम, यातायात व्यवस्था सुदृढीकरण तथा अवैध खनन एवं खनन सामग्री के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार एवं खनन अधिकारी सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 01.04.2026 को थाना सरसावा व राजस्व विभाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान बिना वैध प्रपत्रों के 02 ट्रैक्टर-ट्रालियों को चौकी क्षेत्र शहाजहाँपुर से नियमानुसार सीज किया गया।

इस कार्यवाही का उद्देश्य जनपद सहारनपुर में अवैध खनन, ओवरलोडिंग एवं नियमविरुद्ध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाना तथा पर्यावरण संरक्षण एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ बनाए रखना है।

विवरण –

- 01 ट्रैक्टर ट्राली जिसका चैचिस नम्बर EZZDC20931613 अवैध खनन रेत भरा हुआ।
- 01 ट्रैक्टर ट्राली जिसका चैचिस नं0 MBNAA45ACRTK184A अवैध खनन रेत भरा हुआ।

कार्यवाही करने वाली संयुक्त टीम –

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा, थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर।
2. संग्रह अमीन श्री शराफत अली खां जनपद सहारनपुर
3. संग्रह अमीन श्री महीपाल जनपद सहारनपुर
4. संग्रह अमीन श्री अनिल यादव जनपद सहारनपुर
5. थाना सरसावा पुलिस टीम जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-
ऑपरेशन सवेरा



दिनांक: 01.04.2026

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही

थाना बेहट पुलिस का मादक पदार्थों की तस्करी पर करारा प्रहार — 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 13 ग्राम स्मैक पाऊडर बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन सवेरा” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.04.2026 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त **रिहान पुत्र सुलेमान निवासी मौ० पीरतला कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को ग्राम कादरपुर जाने वाले रास्ते पर आम के बाग के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 13 ग्राम अवैध स्मैक पाऊडर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना बेहट पर मु०अ०सं० 158/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त रिहान द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

रिहान पुत्र सुलेमान निवासी मौ० पीरतला कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

13 ग्राम अवैध स्मैक पाऊडर

अभियुक्त रिहान का आपराधिक इतिहास-

1. मु०सं०अ०- 158/-धारा 268/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. मु०सं०अ०- 551/-धारा 2560 आबकारी अधिनियम थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. मु०सं०अ०- 171/-धारा 258/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. मु०सं०अ०- 413/-धारा 244/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. मु०सं०अ०- 406/-धारा 228/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. मु०सं०अ०- 09/-धारा 18380/411 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर
7. मु०सं०अ०- 533/-धारा 25115)2/(191)1/(191)2/(351)3/(352 बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री महेशचन्द थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. हे०का० 73 प्रवेश कुमार वर्मा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. कां० 1802 बिट्टू कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर

